संख्याः- 12/2021/529/61-2021-601/61-2018(टी०सी०)

प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊः दिनांकः 11 अगस्त, 2021

विषयः- आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु स्वीप योजना के अन्तर्गत कुल 14 जनपदों में मतदाता जागरूकता हेतु बेस लाइन सर्वे कराये जाने हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-905/सी०ई०ओ०-4-38/4-2010, दिनांक 09 अगस्त, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु स्वीप योजना के अन्तर्गत मतदाता जागरूकता हेतु बेस लाइन सर्वे कराये जाने विषयक निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, सेक्टर ''ओ'', अलीगंज हाउसिंग स्कीम, लखनऊ के पत्र संख्या-जीआईडीएस/826/2021, दिनांक 09 अगस्त, 2021 द्वारा मांगी गयी धनराशि रू0 15,56,500/- के 50 प्रतिशत रू0-7,78,250/- के सापेक्ष रू0- 5,00,000/-(रूपये पांच लाख मात्र) के अग्रिम आहरण हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) शासनादेश सं0-ए-1-2774/दस-15/1(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं शासनादेश सं0-ए-1-235/दस-2011-15/1(1)/69, दिनांक 10.06.2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत उक्त अग्रिम का भुगतान किया जायेगा।

(2) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु गिरि विकास अध्ययन संस्थान, अलीगंज, लखनऊ के नियमानुसार चयन एवं संबंधित जनपदों के चयन के औचित्य के संबंध में पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) अग्रिम आहरित धनराशि का उपयोग बिड में निर्धारित समयान्तर्गत अवश्य कर लिया जायेगा। आहरित धनराशि बैंक खाता एवं पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसी प्रयोजन में व्यय की जायेगी। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

2- उपर्युक्त से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2015-निर्वाचन-103-निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण-03-विधान सभा और संसद-**08-कार्यालय व्यय''** के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अजय कुमार शुक्ला)
सचिव।

संख्याः-12/2021/529(1)/61-2021-601/61-2018(टी०सी०), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
(3) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय, निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12।
(7) वित्त (लेखा) अनुभाग-1।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पंकज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in